

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जनवरी 2021—माघ 3, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्र. एफ-3-2-2021-एक-10.— मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा, श्री प्रकाश चन्द्र दुबे (सेवानिवृत्त) संचालक अभियोजन को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष के लिए संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन संभाग, उज्जैन में सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधु नाहर, उपसचिव.